

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्राथीगण द्वारा प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उक्त प्रकरण प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 3(क)ए) NHAI अधिनियम, 1956 में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। निर्णय की प्रति मंत्र अधीनस्थ न्यायालय का तलबिया रिकॉर्ड डम्बवड अधिकारी, गंगापूर को प्रेषित की जावे। पतावली में सल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

लाइ सुनार

श्री (ग) स्वामी
Ibnulhasan
Rakesh Kumar

जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

पदाधिकारी
जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा

पदाधिकारी
जिला कलेक्टर
भीलवाड़ा